

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](#) से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाद्र 22, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में मेरा नाम मोना सिंह था एवं मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनुपम सिंह अंकित है, परन्तु शासकीय अभिलेखों में मेरा बचपन का नाम मोना पत्नी श्री मनीष कुमार सिंह अंकित हो गया है। मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा पूर्व का नाम मोना सिंह अंकित है, प्रकाशन उपरांत अब मेरा नाम अनुपम मोना सिंह लिखा जावे एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(अनुपम सिंह)

(अनुपम मोना सिंह)

(G-1933)

उपनाम परिवर्तन

मैं, बाबू लाल बैगा (BABU LAL BAIGA) पिता श्री रामकुमार बैगा, निवास—मकान नं. 254, वार्ड नं.—12, थाना के पीछे जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) व मैंने अपना उपनाम स्वेच्छा से "बैगा" बदलकर उपनाम "कोल" रख लिया है। प्रकाशन उपरांत शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(बाबू लाल 'बैगा')

(बाबू लाल 'कोल')

(BABU LAL BAIGA)

(BABU LAL KOL)

(G-1934)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित हों कि मेरा नाम RAMAKANT UPADHYAY है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपना नाम RAMAKANT UPADHYAY से बदलकर VIKAS KUMAR PANDIT रख रहा हूँ उक्त दोनों नाम मुझे एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में समस्त प्रयोजन हेतु मुझे RAMAKANT UPADHYAY के स्थान पर VIKAS KUMAR PANDIT के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा, जावे व मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम VIKAS KUMAR PANDIT दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(RAMAKANT UPADHYAY)

(G-1935)

नया नाम

(VIKAS KUMAR PANDIT)

S/o ASHOK KUMAR

Add - R/o GRAM JOHAN KI HAWELI,
AMBAH DIST. MORENA (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सन्तोष कुमार शाक्यवार (SANTOSH KUMAR SHAKAYAWAR) S/o देवीराम शाक्यवार (DEVIRAM SHAKAYAWAR) था. जो कि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र—कपिल शाक्यवार (KAPIL SHAKYAWAR) के कुछ दस्तावेजों में सन्तोष शाक्यवार (SANTOSH SHAKYAWAR) दर्ज है एवं अन्य कुछ दस्तावेजों में सन्तोष कुमार शाक्यवार (SANTOSH KUMAR SHAKYAWAR) दर्ज है. उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. प्रकाशन उपरान्त मुझे एवं मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में सन्तोष शाक्यवार (SANTOSH SHAKYAWAR) के नाम से लिखा एवं पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सन्तोष कुमार शाक्यवार)

(SANTOSH KUMAR SHAKAYAWAR)

(G-1936)

नया नाम

(सन्तोष शाक्यवार)

(SANTOSH SHAKYAWAR)

पता — 48, न्यू चंद्र नगर, मंगल नर्सिंग होम के पास,
फूलबाग, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी के पूर्व कुमारी विमला देवी पुत्री श्री बृज लाल भुटानी था. विवाह उपरान्त मेरा नाम बदल कर श्रीमती पूर्वा परवीन सेठी पति श्री संजीव कुमार सेठी, निवास — जीवाजीगंज लश्कर, ग्वालियर हो गया है.

पुराना नाम

(विमला देवी)

(G-1937)

नया नाम

(पूर्वा परवीन सेठी)

पति—श्री संजीव कुमार सेठी
निवास — जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड में त्रुटिवश “तोषिता” अंकित हो गया है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में “तमन्ना पाटीदार” के नाम से जानी व पहचानी जाएगी।

प्रार्थी

(G-1938) (हुकुमचंद्र पाटीदार पिता बुदालाल पाटीदार)
निवासी – पाटीदार मोहल्ला कडमाल, जिला धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अर्थव सिंह चौहान पिता अजेन्द्रसिंह चौहान, निवासी—सुतार मोहल्ला बड़वानी, जिला बड़वानी, वर्तमान में मेरा नाम मेरे जन्म प्रमाण—पत्र में त्रुटिवश “आर्यवीरसिंह” तथा माता का नाम हिमाद्री अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम “अर्थव सिंह चौहान” तथा माता का नाम रेखा चौहान है। अतः उक्त कारण से मैं, मेरे पूर्व नाम “आर्यवीरसिंह” तथा माता का नाम हिमाद्री के स्थान पर प्रचलित नाम “अर्थव सिंह चौहान” तथा माता का नाम रेखा चौहान कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(आर्यवीरसिंह)	(अर्थव सिंह चौहान)
(Aaryaveer Singh)	(Atharv Singh Chouhan)
माता का नाम हिमाद्री	माता का नाम रेखा चौहान
Mother Name - Himadri	Mother Name - Rekha Chouhan.

(G-1939)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री जिसका जन्म के समय नाम धमिष्ठा चौहान पुत्री श्री ललित चौहान निवासी—म.नं. ए-01, कृष्ण आर्केट वास्तु विहार खजुरी कला रोड बीएचईएल भोपाल (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम धमिष्ठा चौहान पिता ललित चौहान है जबकि मेरी पुत्री श्री अमलकार पिता ललित चौहान के नाम से ही जानी—पहचानी जाती है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अब नये नाम श्री अमलकार पुत्री श्री ललित चौहान के संशोधित नाम से ही जाना—पहचाना जाये एवं भविष्य में मेरी पुत्री के नवीन नाम श्री अमलकार का उल्लेख समस्त अभिलेखों में किया जाये।

पुराना नाम	नया नाम
(धमिष्ठा चौहान)	(श्री अमलकार)
	संरक्षिका (माता) रीना अमलकार.

(G-1940)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नन्दकिशोर दास (Nandkishor das) पुत्र श्री महावीर दास, निवासी—खंडेरिया काचर, तहसील—सीतामऊ, मंदसौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे अंग्रेजी नाम की स्पेलिंग गलत (Nandkishore das)

दर्ज हो गयी है जबकि मेरे सभी अंकपत्रों और अन्य दस्तावेजों पर सही नाम नन्दकिशोर दास (Nandkishor das) पुत्र श्री महावीर दास लिखा हुआ है जो कि सत्य एवं सही है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नन्दकिशोर दास (Nandkishor das) पुत्र श्री महावीर दास के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(Nandkishore das)

(नन्दकिशोर दास)

(G-1941)

(Nandkishor das)

पुत्र — श्री महावीर दास।

नाम परिवर्तन

मैं, शैलेंद्र सिंह आत्मज—श्री अनार सिंह मेवाडा निवासी—अमरोड, पोस्ट—खमालिया, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शेर सिंह (SHER SINGH) है और कुछ अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शैलेंद्र मेवाडा (SHAILENDRA MEWADA), शैलेंद्र सिंह (SHAILENDRA SINGH) नाम दर्ज है। मेरा नाम शेर सिंह (SHER SINGH) एवं शैलेंद्र सिंह (SHAILENDRA SINGH) दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में शैलेंद्र सिंह (SHAILENDRA SINGH) के नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम

नया नाम

(शेर सिंह)

(शैलेंद्र सिंह)

(SHER SUNGH)

(SHAILENDRA SINGH)

(G-1942)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, श्रीमती अर्चना पाण्डेय (Archana Pandey) पत्नी श्री अरविंद पाण्डेय, निवासी—म.नं. — 29, आराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, हुजूर भोपाल कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनु पाण्डेय (Anu Pandey) अंकित हो गया है जो गलत है, जबकि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती अर्चना पाण्डेय (Archana Pandey) पत्नी श्री अरविंद पाण्डेय जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मुझे मेरे सही नाम श्रीमती अर्चना पाण्डेय (Archana Pandey) पत्नी श्री अरविंद पाण्डेय से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(अनु पाण्डेय)

(अर्चना पाण्डेय)

(G-1943)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को हेतु सूचित किया जाता है कि मैं, गणेश राम लकड़ा (GANESH RAM LAKRA) पुत्र श्री जगन्नाथ लकड़ा निवासी—म—नं. 130, बाबा नगर, सी—सेक्टर, शाहपुरा भोपाल, (म.प्र.). मेरी पुत्री अरलिन लकड़ा (ARLEEN LAKRA) के शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम गणेश क्रिस्टो लकड़ा (GANESH KRISTO LAKRA) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम गणेश राम लकड़ा (GANESH RAM LAKRA) पुत्र श्री जगन्नाथ लकड़ा जो कि सत्य एवं सही है। अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में अरलिन लकड़ा (ARLEEN LAKRA) पुत्री श्री गणेश राम लकड़ा (GANESH RAM LAKRA) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(गणेश क्रिस्टो लकड़ा)

(गणेश राम लकड़ा)

(GANESH KRISTO LAKRA)

(GANESH RAM LAKRA)

(G-1944)

पुत्र—श्री जगन्नाथ लकड़ा।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बलिराम धाकड़ निवासी—बाग पिपरिया, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश उसका नाम गर्व धाकड़ दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम पीयूष धाकड़ पिता बलिराम धाकड़ दर्ज है जो कि सही है. अतः, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम पीयूष धाकड़ पिता बलिराम धाकड़ के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा दर्ज किया जावे.

भवदीय

(G-1945)

(पिता – बलिराम धाकड़).

नाम परिवर्तन

मैं, शिवानी धाकड़ (SHIVANI DHAKAD) पिता रामगोपाल धाकड़ निवासी—ग्राम बनी, तह. दलौदा, जिला मंदसौर सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे पूर्व का नाम विष्णु (VISHNU) था जो मेरे आधार कार्ड, अंकसूची में मैंने अपना नाम विष्णु पिता रामगोपाल धाकड़ लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में शिवानी धाकड़ (SHIVANI DHAKAD) पिता रामगोपाल धाकड़ के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूं. अतः, मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम विष्णु पिता रामगोपाल के स्थान पर शिवानी पिता रामगोपाल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(विष्णु)

(G-1946)

नया नाम
(शिवानी धाकड़)

पिता—रामगोपाल धाकड़.

आम सूचना

वी2एम इंफ्रास्ट्रक्चर (V2M Infrastructure), 602, ब्लाक-ए, गुलमर्ग वैली, कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0096/24, दिनांक 29 मई 2024 है के विद्यमान साझेदारों में से संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 17 जून 2023 के माध्यम से एक साझेदार श्री वैदांत राय पिता श्री विशाल राय को पृथक् किया गया साथ ही श्री विशाल राय पिता श्री अनिल राय को शामिल किया गया है. वर्तमान में फर्म का संचालन क्रमशः (1) श्री मनोज धनोतिया पिता श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया, 703, गुलमर्ग वैली अपार्टमेन्ट, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के पास, इन्दौर (म.प्र.) 452016 (2) श्री विशाल राय पिता श्री अनिल राय, 77, साकेत नगर, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452018 एवं (3) श्री वैभव राय पिता श्री अनिल कुमार राय, 77, साकेत नगर, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.) 452018 द्वारा किया जावेगा.

For V2M Infrastructure

1. मनोज धनोतिया
पुत्र – श्री राजेन्द्र कुमार धनोतिया
2. विशाल राय
पुत्र – श्री अनिल राय.
3. वैभव राय
पुत्र – श्री अनिल राय
साझेदार

(G-1947)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रतीक मालवीया, पिता महेश कुमार मालवीया निवासी—म.नं. एम.आई.जी. 21, सुभाष चंद्र बेनार्जी वार्ड 65, गोविन्द भवन बस्ती, साउथ सिविल लाईन, नजदीक आर.टी.ओ. ऑफिस, राजा गोकुलदास, धरमशाला—11, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र में पुत्री का नाम आर्ना मालवीय (AARNA MALVIYA) दर्ज है व मेरी पुत्री के डिजीटल जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम परिवर्तन कर ऋषिका मालवीय (RISHIKA MALVIYA) दर्ज है. अतः मेरे पुत्री को ऋषिका मालवीय (RISHIKA MALVIYA) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी

(G-1948)

(प्रतीक मालवीया).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रतीक मालवीया, पिता महेश कुमार मालवीया निवासी—म.नं. एम.आई.जी. 21, सुभाष चंद्र बेनार्जी वार्ड 65, गोविन्द भवन बस्ती, साउथ सिविल लाईन, नजदीक आर.टी.ओ. ऑफिस, राजा गोकुलदास, धरमशाला—11, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में मेरे पुत्र का नाम अर्णव मालवीय (AARNAV MALVIYA) दर्ज है व मेरे पुत्र के डिजीटल जन्म प्रमाण—पत्र में उसका नाम परिवर्तन कर ऋषभ मालवीय (RISHABH MALVIYA) दर्ज है। अतः, मेरे पुत्र को ऋषभ मालवीय (RISHABH MALVIYA) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(अर्णव मालवीय)	(ऋषभ मालवीय)
(AARNAV MALVIYA)	(RISHABH MALVIYA).
(G-1949)	प्राथमि प्रतीक मालवीय

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स गुरु अर्जुन मिनरल्स सागर, पता—गुरुद्वारा के पास, भगवानगंज, सागर दिनांक 15 सितम्बर 2005 को बनाई गई थी जिसमें निम्न पार्टनर थे 1. Shri Davendar Pal Singh Chawla 2. Shri Alok Agrawal जिसमें Shri Alok Agrawal दिनांक 1 अप्रैल 2011 को फर्म से पृथक् हो गये थे व Shri Jitendra Pal Singh Chawla फर्म के नए पार्टनर बने थे एवं फर्म का पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी सागर, (म.प्र.) द्वारा पं.क्र. 06/09/01/00001/11 दिनांक 7 अप्रैल 2011 को किया गया था जिसमें निम्न पार्टनर थे 1. Shri Davendar Pal Singh Chawla 2. Shri Jitendra Pal Singh Chawla उपरोक्त इस फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें से भागीदार Shri Jitendra Pal Singh Chawla स्वेच्छा से फर्म से दिनांक 6 अप्रैल 2023 को रिटायर हो गए हैं। तथा 1. Shri Rajendra Singh Lodhi 2. Smt. Deepti Lodhi फर्म के नए पार्टनर बने जिसके अनुसार दिनांक 6 अप्रैल 2023 से निम्नांकित भागीदारी रहेंगे।

1. Shri Davendar Pal Singh Chawla 2. Shri Rajendra Singh Lodhi 3. Smt. Deepti Lodhi
मेसर्स/गुरु अर्जुन मिनरल्स सागर का नया पता H.No. 133, Phase 2, Sunrise Mega City, Baghraj Ward No. 47, Sagar Teh. & Distt. Sagar (M.P.), दिनांक 6 अप्रैल 2023 से परिवर्तित हो गया है।

वास्ते, मेसर्स/गुरु अर्जुन मिनरल्स सागर
Shri Davendar Pal Singh chawla.
भागीदार

नाम परिवर्तन

मैं, सरोज कुमारी पत्नी श्री छोटेलाल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर के पास, गोपेश्वर मंदिर के पीछे, ए.बी. रोड़, जिला ग्वालियर (म.प्र.) सूचित करती हूं कि शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सरोज कुमारी दर्ज है किन्तु पूर्व में मुझे सरोज देवी जैन के नाम से घर में पुकारते थे, मेरा वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम जो कि पेन कार्ड, आधार कार्ड में सरोज कुमार दर्ज है जो कि सत्य व सही है और मैं अब इसी नाम से जानी—पहचानी व पुकारी जाती हूं अतः भविष्य में मुझे सरोज देवी जैन के स्थान पर सरोज कुमारी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्राथिनी
सरोज कुमारी पत्नी श्री छोटेलाल.

(G-1951)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनन्या राय (ANANYA RAI) पुत्री सुनील राय, निवासी—वार्ड—12, गली नं—10, बसंत कालोनी छिन्दवाड़ा (म.प्र.) मेरे कुछ दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम शुभी राय पुत्री श्री डॉ एस. के. राय अंकित हो गया है, जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही व वास्तविक नाम अनन्या राय पुत्री सुनील राय अंकित है, जो कि सही व सत्य है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अद्वृशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में अनन्या राय (ANANYA RAI) पुत्री सुनील राय के नाम से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(शुभी राय)	(अनन्या राय)
पुत्री—डॉ एस. के. राय	(ANANYA RAI)
(G-1952)	पुत्री—सुनील राय (SUNIL RAI).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that Maruti Developers, having head office at 2720, Main Road, Tripuri Chowk, Garha, Jabalpur is registered partnership firm.

Following Changes took place in constitution of the firm :-

1. Laxman Sharan Vishwakarma joined and Khem Singh Thakur retired on 28 January 2021.
2. Nitesh Singh Parihar joined and Anoop Patel retired 7 February 2021.
3. Shubham Kachhi joined and Nitesh Singh Parihar retired 31 January 2024.

Now the partners of the firm are Laxman Sharan Vishwakarma and Shubham Kachhi.

For, Maruti Developers
(LAXMAN SHARAN VISHWAKARAM)
(Partner).
(G-1953)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूनम सौर पत्नी श्री अभयदीप सौर निवासी—मस्जिद के पास, संजय गांधी कालोनी, वार्ड क्र. 03, बण्डा बेलई, जिला सागर (म.प्र.) मेरा वास्तविक नाम पूनम सौर (POONAM SOUR) है, आधार कार्ड में कुमारी पूनम आदिवासी था, अब मैं अपने विवाह के पश्चात् नये नाम पूनम सौर (POONAM SOUR) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अद्वृशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा।

पुराना नाम	नया नाम
(कु. पूनम आदिवासी)	(श्रीमती पूनम सौर)
(Ku. Poonam Adiwasi)	(SMT. POONAM SOUR).

(G-1954)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रानी पत्नी श्री धरम सिंह, निवासी—186, परमार मोहल्ला, कालापीपल, शाजापुर मध्यप्रदेश. मेरा वास्तविक नाम रानी (RANI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश बन्दना हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम रानी (RANI) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(वन्दना)	(रानी)
(VANDANA)	(RANI).
(G-1955)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार माल्या आत्मज श्री भीकाजी माल्या, निवासी—म.नं. 180, वार्ड क्र. 13, ग्राम बरवई, खातेगांव, जिला देवास, मध्यप्रदेश मेरे पुत्र का वास्तविक नाम लोकित माल्या (LOKIT MALYA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश संस्कार माल्या हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम लोकित माल्या (LOKIT MALYA) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक	(मुकेश माल्या).
(G-1956)	

जाहिर सूचना

हम एम.के. एसोसिएट्स जो कि फर्म एवं सोसायटी कार्यालय भोपाल से रजिस्टर्ड फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 01/01/00549/13 दिनांक 19 मार्च 2013 है. दिनांक 15 जुलाई 2023 को पार्टनर गुलशन मदान की डेथ के कारण उनके लीगल वारिसान उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा मदान उनके स्थान पर पार्टनर के रूप में दिनांक 3 अगस्त 2024 से फर्म में समिलित हो गए हैं.

मेसर्स एम. के. एसोसिएट्स	(भूपेन्द्र खुराना)
(G-1957)	भागीदार
	पता — बापू चौक, जवाहर वार्ड, बैतूल.

जाहिर सूचना

हम श्री दादा जी एसोसिएट्स-1 जो कि फर्म एवं सोसाइटी कार्यालय भोपाल से रजिस्टर्ड फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 01/06/01/0229/22 दिनांक 3 सितम्बर 2022 है. दिनांक 30 जुलाई 2024 को पार्टनर कुनाल मालवीय फर्म से रिटायर्ड हो गए हैं तथा रोहित मालवीय नये पार्टनर के रूप में दिनांक 30 जुलाई 2024 से फर्म में समिलित हो गए हैं.

मेसर्स श्री दादा जी एसोसिएट्स-1,	(प्रमोद हारोड़े)
(G-1958)	भागीदार
	पता — हनुमान मंदिर के पास, कालापाठा रोड, विकास नगर, बैतूल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भावना शर्मा पत्नी श्री पंकज शर्मा, निवासी—10 बी, ओमशिव नगर, गुफा मंदिर रोड, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र आदित्य शर्मा (ADITYA SHARMA) के शैक्षणिक रिकार्ड में त्रुटिवश माता का नाम (BHAWNA SHARMA) दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम (BHAVNA SHARMA) है। अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र आदित्य शर्मा (ADITYA SHARMA) के सभी शासकीय/अद्वासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों में माता का नाम भावना शर्मा (BHAVNA SHARMA) एवं पिता का नाम पंकज शर्मा (PANKAJ SHARMA) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम (भावना शर्मा) (BHAWNA SHARMA) (G-1959)	नया नाम (भावना शर्मा) (BHAVNA SHARMA) पति – पंकज शर्मा (PANKAJ SHARMA).
---	---

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that, our correct name is Sukhmandeep Kaur D/o. Angrej Singh and Kulwinder Pawar, But in my Daughter's School documents our name is written Sukhmandeep Rai D/o. Angrej Singh Rai and Kulwinder Kaur in which have some correction accordingly birth certificate, So Henceforth in all of my Daughter's school's documents our name will be written Sukhmandeep Kaur D/o. Angrej Singh and Kulwinder Pawar for all purposes.

(G-1960)	Applicant (Kulwinder Pawar - Mother) Add - H.No. 1296, Sch. No. 114, Part-1, Vijay Nagar, Indore (M.P.)
----------	---

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद हनीफ निवासी—बाबू जगजीवन राम वार्ड, मदरसा गोसिया के पास, एन.के.जे. मुरवारा, कटनी (म.प्र.). मेरी पुत्री कसफना मंसूरी पिता मोहम्मद इरशाद के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम (MOHAMMAD IRSAD) दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि मेरा सही नाम आधार कार्ड में (MOHAMMAD IRSHAD) दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है। एवं माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में (SITARA BEGAM) दर्ज है जबकि उनका सही नाम (SITARA BEGUM) है। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के नाम के साथ उसके माता—पिता का सही नाम (MOHAMMAD IRSHAD) एवं (SITARA BEGUM) पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

(G-1961)	आवेदक मोहम्मद इरशाद पिता—मोहम्मद हनीफ.
----------	---

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर फर्म जिसका पता—18/2, कंवर कॉलोनी बडवाहा, जिला खरगोन है। जिसका पंजीयन क्रमांक 03/30/09/00103/13 दिनांक 13 अगस्त 2013 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री प्रशांत शर्मा पिता श्री महेश प्रसाद शर्मा 2. श्री दीपेश विजयवर्गीय पिता श्री शिवप्रसाद विजयवर्गीय 3. लक्ष्मीचंद अमई पिता श्री हीरालाल अमई थे। तत्पश्चात् दिनांक 1 जून 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री प्रशांत शर्मा पिता श्री महेश प्रसाद शर्मा, भागीदारी फर्म मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर से पृथक हो गये हैं। प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना—देना शेष नहीं है। वर्तमान में मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर के भागीदार 1. श्री दीपेश विजयवर्गीय पिता श्री शिवप्रसाद विजयवर्गीय 2. श्री लक्ष्मीचंद अमई पिता श्री हीरालाल अमई हैं। यह विदित हो।

(G-1962)	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर 1. दीपेश विजयवर्गीय 2. लक्ष्मीचंद अमई. भागीदार
----------	--

उपनाम परिवर्तन

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्य माकोड़े के नाम से ही पहचाना जा रहा हूँ शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम लक्ष्य देशमुख, पिता का नाम रमेश देशमुख, माता का नाम गीता देशमुख त्रुटिवश अंकित हो गया है। मैं अपने नाम, पिता व माता के साथ त्रुटिवश उल्लेखित किये गये सरनेम के स्थान पर माकोड़े जोड़कर प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम लक्ष्य माकोड़े, पिता का नाम रमेश माकोड़े, एवं माता का नाम गीता माकोड़े के जाना—पहचाना, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (लक्ष्य देशमुख)	नया नाम (लक्ष्य माकोड़े) पिता—रमेश माकोड़े
(G-1963)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दानिया नवाज़ (Daniya Nawaz) पुत्री श्री मोहम्मद आज़म नवाज़ (Mohammed Azam Nawaz) निवासी—52—ए, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल म.प्र. मेरे दस्तावेजों में मेरे नाम दानिया नवाज़ (Daniya Nawaz) पुत्री डॉ. आज़म नवाज़ (Dr. Azam Nawaz) अंकित है किंतु मेरे पिता जी के अन्य सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार सही नाम मोहम्मद आज़म नवाज़ (Mohammed Azam Nawaz) है। प्रकाशन उपरान्त मुझे दानिया नवाज़ (Daniya Nawaz) पुत्री श्री मोहम्मद आज़म नवाज़ (Mohammed Azam Nawaz) के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम (दानिया नवाज़)	नया नाम (दानिया नवाज़) पुत्री मोहम्मद आज़म नवाज़
(G-1964)	(Mohammed Azam Nawaz)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व में मेरा नाम भारती चंदानी (BHARTI CHANDANI) पिता लेखराज चंदानी था जो कि मेरे पेन कार्ड पर अंकित है तथा दिशंक सेवानी से विवाह हो जाने के पश्चात् मेरा नाम सुवीन सेवानी (SUVEEN SEWANI) पति श्री दिशंक सेवानी हो गया है, जो कि मेरे आधार कार्ड पर अंकित है। अतः भविष्य में मुझे सुवीन सेवानी (SUVEEN SEWANI) पति श्री दिशंक सेवानी के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (भारती चंदानी)	नया नाम (सुवीन सेवानी) पति श्री दिशंक सेवानी
(G-1965)	पता—106 ए, पाश्वनाथ कॉलोनी, आर.टी.ओ. रोड, इंदौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हेमचंद वोरा (HEMCHAND VORA) पिता गेंदालाल था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम हेमचंद जैन (HEMCHAND JAIN) पिता गेंदालाल जैन कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम हेमचंद जैन (HEMCHAND JAIN) पिता गेंदालाल जैन के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (हेमचंद वोरा)	नया नाम (हेमचंद जैन) पिता—गेंदालाल जैन,
(HEMCHAND VORA)	(HEMCHAND JAIN)
(G-1966)	पता—223—25, एम.जी. रोड, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम राधिका डाक्से (RADHIKA DAKSE) पिता श्री महेश डाक्से है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर त्रुटिवश मेरे पूर्व का बोलता नाम राधा डाक्से (RADHA DAKSE) पिता श्री महेश डाक्से दर्ज हो गया था, अतः भविष्य में राधा डाक्से के स्थान पर राधिका डाक्से (RADHIKA DAKSE) पिता श्री महेश डाक्से लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (राधा डाक्से) (RADHA DAKSE) (G-1967)	नया नाम (राधिका डाक्से) (RADHIKA DAKSE) पिता – श्री महेश डाक्से पता – 13, हरिजन मोहल्ला, धनगांव, खण्डवा (म.प्र.).
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम अक्षत भावसार (AKSHAT BHAWSAR) पिता विनोद भावसार है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. किन्तु उसके आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका बोलता नाम आदि भावसार (AADI BHAWSAR) पिता विनोद भावसार दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत भावसार (AKSHAT BHAWSAR) पिता विनोद भावसार के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे एवं आदि के स्थान पर अक्षत लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम (आदि भावसार) (AADI BHAWSAR) (G-1968)	नया नाम (अक्षत भावसार) (AKSHAT BHAWSAR) पिता – विनोद भावसार पता – 424–25, कृष्ण बाग कॉलोनी, इंदौर, (म.प्र.).
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम महेश शाह (MAHESH SHAH) पिता श्री शांतिलाल शाह है जो कि सही है तथा मेरे वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम महेश शांतिलाल शाह (MAHESH SHANTILAL SHAH) एवं कुछ पर डॉ. महेश शाह (DR. MAHESH SHAH) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम महेश शाह (MAHESH SHAH) पिता श्री शांतिलाल शाह के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम (डॉ. महेश शांतिलाल शाह) (DR. MAHESH SHANTILAL SHAH) (G-1969)	नया नाम (महेश शाह) (MAHESH SHAH) पिता – श्री शांतिलाल शाह पता – बी-83, एम.आई.जी. कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम सरला शर्मा (SARLA SHARMA) पति श्री जगदीश शर्मा है, जो मेरे आधार कार्ड, बोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा पूर्व का बोलता नाम शालिनी शर्मा (SHALINI SHARMA) पति श्री जगदीश शर्मा दर्ज हो गया था, सरला शर्मा एवं शालिनी शर्मा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रकाशन उपरांत शालिनी शर्मा के स्थान पर सरला शर्मा (SARLA SHARMA) पति श्री जगदीश शर्मा लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(शालिनी शर्मा)	(सरला शर्मा)
(SHALINI SHARMA)	(SARLA SHARMA)
(G-1970)	पता – 213, श्याम नगर, एम.आर. 10, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम शीतल भागमल (SHEETAL BHAGMAL) पति श्री ईश्वर भागमल है, जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, स्थानीय निवासी प्रमाण—पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पर अंकित है, किन्तु मेरे पेन कार्ड एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम रानी भागमल (RANI BHAGMAL) दर्ज हो गया था, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शीतल भागमल (SHEETAL BHAGMAL) पति श्री ईश्वर भागमल के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(रानी भागमल)	(शीतल भागमल)
(RANI BHAGMAL)	(SHEETAL BHAGMAL)
(G-1971)	पता – 3/74, साई सागर, राऊ, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म नाम : मेसर्स माहेश्वरी लाजिस्टिक सर्विसेस एण्ड सोल्युशंस, पता: 201, वेलकम अपार्टमेंट, अयोध्या बाय पास रोड, भोपाल पता – 201, वेलकम अपार्टमेंट, अयोध्या बाय पास रोड, भोपाल में स्थित है जिसका फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0021/22 सन् 2022–23 दिनांक 8 अप्रैल 2022 को पंजीयत है। फर्म का पंजीयन करते समय भूलवश फर्म के नाम में गलत नाम (मेसर्स माहेश्वरी लाजिस्टिक सोल्युशंस एण्ड सर्विसेस) हो गया था। अब फर्म का नाम सुधार के बाद मेसर्स माहेश्वरी लाजिस्टिक सर्विसेस एण्ड सोल्युशंस पढ़ा और लिखा जाए जो कि पंजीयन दिनांक से प्रभावशाली रहेगा।

मेसर्स माहेश्वरी लाजिस्टिक सर्विसेस एण्ड सोल्युशंस	सुनील माहेश्वरी (भागीदार)
(G-1972)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में चिन्दू परमार, पिता ओम प्रकाश परमार (CHINTU PARMAR S/o OMPRAKASH PARMAR) था। वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर कपिल परमार पिता ओम प्रकाश परमार (KAPIL PARMAR S/o OMPRAKASH PARMAR) हो गया है। मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है। प्रकाशन उपरान्त मुझे कपिल परमार, पिता ओम प्रकाश परमार (KAPIL PARMAR S/o OMPRAKASH PARMAR) के नाम से लिखा एवं जाना—पहचाना जावेगा।

आवेदक

कपिल परमार

पिता — ओम प्रकाश परमार

पता — 61, श्रद्धापुरी कॉलोनी, द्वारकापुरी, इंदौर (म.प्र.).

(G-1973)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गणेश राठौर, पिता राकेश राठौर (GANESH RATHORE S/o RAKESH RATHORE) था। जो कि, उसकी शैक्षणिक अंकसूची व आधार कार्ड में दर्ज है। अब मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर कार्तिक राठौर, पिता राकेश राठौर (KARTIK RATHORE S/o RAKESH RATHORE) हो गया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र को कार्तिक राठौर, पिता राकेश राठौर (KARTIK RATHORE S/o RAKESH RATHORE) के नाम से लिखा एवं जाना—पहचाना जावेगा।

आवेदक

कार्तिक राठौर

पिता — राकेश राठौर

पता — टिकरिय गाँव काचरिया, जिला—उज्जैन, (म.प्र.).

(G-1974)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार ओसारी Rajkumar Osari आत्मज शोभाराम ओसरी सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा नाम राजकुमार ओसारी Rajkumar Osari आत्मज शोभाराम ओसरी है जो मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय दस्तावेजों में अंकित है। किंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से राजकुमार Rajkumar आत्मज शोभाराम ओसरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। इस विज्ञप्ति के उपरान्त मुझे सभी शासकीय/अद्वशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में राजकुमार ओसारी Rajkumar Osari आत्मज शोभाराम ओसरी के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जाए।

पुराना नाम

(राजकुमार)

(Rajkumar)

आत्मज शोभाराम ओसरी

(G-1975)

नया नाम

(राजकुमार ओसारी)

(Rajkumar Osari)

आत्मज शोभाराम ओसरी

पता — ऐ. 234, शांति नगर, महूगाँव, म्हो, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शुभम बिरला Shubham Birla आत्मज श्री गजानंद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम शुभम बिरला Shubham Birla आत्मज श्री गजानंद है जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. किंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से शुभम Shubham आत्मज श्री गजानंद अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस विज्ञाप्ति के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में शुभम बिरला Shubham Birla आत्मज श्री गजानंद के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(शुभम)	(शुभम बिरला)
(Shubham)	(Shubham Birla)
(G-1976)	आत्मज — श्री गजानंद पता — 397, टाइप-2, एसएल-1, स्कीम नं. 78, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित्रा (SUMITRA) पत्नी स्व. श्री कल्याण प्रसाद भार्गव सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शकुन्तला (SHAKUNTALA) था जो मेरे पति स्व. श्री कल्याण प्रसाद भार्गव के सर्विस दस्तावेज में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं सुमित्रा पत्नी स्व. श्री कल्याण प्रसाद भार्गव के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सुमित्रा एवं शकुन्तला दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति स्व. श्री कल्याण प्रसाद भार्गव के शासकीय/अशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम शकुन्तला के स्थान पर मेरा नाम सुमित्रा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शकुन्तला)	(सुमित्रा)
(G-1977)	पत्नी — स्व. श्री कल्याण प्रसाद भार्गव पता — भोइयाना मौहल्ला, कैलाश टॉकीज के पीछे, सुबे की गोठ, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मीरा गुप्ता (MEERA GUPTA) पत्नी अनिल कुमार गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मीरा देवी गुप्ता (MEERA DEVI GUPTA) था जो मेरे HINDUSTAN LEVER LIMITED के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं मीरा गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मीरा देवी गुप्ता एवं मीरा गुप्ता दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत में मेरा नाम मीरा देवी गुप्ता के स्थान पर मेरा नाम मीरा गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मीरा देवी गुप्ता)	(मीरा गुप्ता)
(G-1978)	पत्नी — अनिल कुमार गुप्ता पता — 220, विजय नगर, ग्वालियर, (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है M/S SRG CONSTRUCTION COMPANY जो E-2-37, HANUMAN NAGAR, GIRD, GWALIOR (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0207/23 दिनांक 18 जनवरी 2023 है. जिसमें दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा, निवासी—सिंहपुर रोड, नियर एयरटेल टॉवर त्यागी नगर, मुरार ग्वालियर एवं श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा, निवासी—212, सिंहपुर रोड, नियर एयरटेल टावर, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं. दिनांक 10 जुलाई 2024 को (1) श्री सुधीर कुमार बोहरे पुत्र श्री राधारमण बोहरे निवासी बीएच—21, दीन दयाल नगर महाराजपुरा ग्वालियर. (2) श्री रजनीश शर्मा पुत्र श्री नारायण दास शर्मा, निवासी—ई—2—37, हनुमान नगर, गोले का मंदिर ग्वालियर (3) श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा निवासी—सिंहपुर रोड, नियर एयरटेल टावर, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर. (4) श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा निवासी—212, सिंहपुर रोड, नियर एयरटेल टावर, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 10 जुलाई 2024 को श्रीमती रुबी शर्मा पत्नी श्री गिरजाशंकर शर्मा, निवासी—जीएच—922, दीन दयाल नगर, भिंड रोड, ग्वालियर एवं श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी—जीएच—922, दीन दयाल नगर, भिंड रोड, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं. एवं दिनांक 10 जुलाई 2024 से फर्म का कार्यालय ई—2—37, हनुमान नगर गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) से परिवर्तित कर फर्म का नवीन स्थान जी.एच.—922, दीन दयाल नगर, भिंड रोड, ग्वालियर (म.प्र.) हो गया है.

M/S SRG CONSTRUCTION COMPAN
श्री गिरजा शंकर
(भागीदार)

(G-1979)

Add .- E-2-37, Hanuman Nagar, Gird, Gwalior (M.P.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री सीताराम डेवलपर्स एण्ड सप्लायर जो 01, वार्ड न. 26, खुरैरी, बड़ागांव गुलाबपुरी मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0240/20 दिनांक 21 दिसम्बर 2020 है. जिसमें दिनांक 8 जनवरी 2024 को भागीदार संदीप सिंह गुर्जर पुत्र श्री मेहताब सिंह गुर्जर निवासी—नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर की मृत्यु हो जाने के कारण वह फर्म से स्वतः ही पृथक् हो गए हैं. एवं इसी दिनांक 8 जनवरी 2024 को रोहित सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी कवि नगर, अभिनन्दन वाटिका के सामने भिण्ड रोड, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं. एवं दिनांक 22 अगस्त 2024 को श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री महेश चन्द निवासी एच—37, राम वाटिका के सामने, गोविन्दपुरी, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गयी हैं.

मेसर्स श्री सीताराम डेवलपर्स एण्ड सप्लायर
गंगा सिंह
(भागीदार)

पता — 01, वार्ड न. 26, खुरैरी बड़ागांव, गुलाबपुरी,
मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1980)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि SHYAM BABA INDUSTRIES जो GRAM DAHI PICHHORE ROAD, DABRA DISTT. GWALIOR (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/02/0352/20 दिनांक 20 मार्च 2020 है. जिसमें दिनांक 31 अगस्त 2024 को भागीदार श्री दीपक साहू पुत्र श्री भगवानदास साहू निवासी—झाँसी रोड, डबरा जिला ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 31 अगस्त 2024 को श्री रोहित जैन पुत्र श्री अशोक जैन निवासी— दाल बाजार नियर राम मंदिर, लश्कर ग्वालियर, एवं श्री समर्थ जैन पुत्र श्री पंकज कुमार जैन निवासी—दाल बाजार नियर राम मंदिर, लश्कर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गये हैं.

SHYAM BABA INDUSTRIES
पंकज कुमार चौधरी
(भागीदार)

Add.- Gram Dahi Pichhore Road, Darba Distt. Gwalior.

(G-1981)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S SHIV CHARAN LAL RAMESH CHAND जो 278, MAU ROAD, GOHAD, DISTRICT BHIND (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/43/01/0081/17 दिनांक 21 जून 2017 है. जिसमें दिनांक 13 अगस्त 2024 को भागीदार श्री रमेश चंद गुप्ता (एच.यू.एफ.) कर्ता निवासी—278, मौं रोड, गोहद, जिला भिंड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. एवं इसी दिनांक 13 अगस्त 2024 को श्री रमेश चंद गुप्ता पुत्र प्यारे लाल गुप्ता निवासी—278, मौं रोड, गोहद, जिला भिंड एवं श्रीमती रेनू गुप्ता पुत्री श्री श्याम शरण बांदिल निवासी बाड़ा कासिम खाँन, दाल बाजार, लश्कर ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं.

M/S SHIV CHARAN LAL RAMESH CHAND

शैलेष गुप्ता
(भागीदार)

(G-1982)

Add. - 278, Mau Road, Gohad, District Bhind (M.P.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री जी रीयल फार्मस जो कि 01, शम्भूनाथ की बगीची चिक संतर, मुरार, ग्वालियर में स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00063/11 दिनांक 15 जून 2011 है. जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2022 को भागीदार पूनम जैन पत्नी श्री पारस जैन निवासी गोले का मंदिर ग्वालियर एवं देवेन्द्र जैन पुत्र श्री कपूर चंद जैन निवासी प्रतीक्षा भवन रेसीडेन्सी रोड गोले का मंदिर ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं. एवं इसी दिनांक 1 अप्रैल 2022 से (1) अभिषेक सिंह सेंगर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह सेंगर निवासी सी—61, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी ग्वालियर (2) अभिषेक सिंह भद्रौरिया पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भद्रौरिया निवासी यूनिवर्सिटी रोड, 13 अनुपम नगर, आर. के. पुरी, ग्वालियर (3) केदारनाथ अग्रवाल पुत्र श्री नारायण दास अग्रवाल निवासी बी—82—83, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. एवं दिनांक 3 जुलाई 2024 को (1) हरजिंदर सिंह संधु पुत्र श्री बलवीर सिंह संधु निवासी संधु मार्केट हाउस नं. 133, महाराज पुरा, ग्वालियर. (2) राहुल सिंह चौहान पुत्र श्री देवेंद्र सिंह चौहान निवासी आदित्यपुरम डी. डी. नगर के सामने, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर. (3) हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री आनंद कुमार अग्रवाल निवासी शम्भाजी कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर. (4) भीम सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर निवासी तिरुपति नगर नदी पार ताल मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 5 जुलाई 2024 को भागीदार (1) पारस जैन पुत्र स्व. श्री मोहन लाल सराफ निवासी प्रतीक्षा भवन रेसीडेंसी रोड गोले का मंदिर, ग्वालियर (2) अभिषेक सिंह सेंगर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह सेंगर, निवासी सी—61, यूनिवर्सिटी रोड, गोविंदपुरी, ग्वालियर (3) अभिषेक सिंह भद्रौरिया पुत्र श्री गजेंद्र सिंह भद्रौरिया निवासी यूनिवर्सिटी रोड, 13 अनुपम नगर, आर. के. पुरी, ग्वालियर (4) केदारनाथ अग्रवाल पुत्र श्री नारायण दास अग्रवाल निवासी बी—82/83, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गए हैं

मेसर्स श्री जी रीयल फार्मस

हरजिंदर सिंह संधु
(भागीदार)

पता — 01, शम्भूनाथ की बगीची, चिक संतर,
मुरार, ग्वालियर.

(G-1983)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S INDERSINGH & SON जो O-10 SITE NO 1, CITY CENTER, GIRD, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0168/24 दिनांक 4 अप्रैल 2024 है. जिसमें दिनांक 21 मार्च 2023 को श्री अमनदीप सिंह पुत्र श्री जे.पी. सिंह निवासी—सुखमानी विल्ला ओ—10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री जसकरन सिंह पुत्र श्री जे.पी. सिंह निवासी—सुखमानी विल्ला ओ—10, साइट नं. 1, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में समिलित हो गए हैं।

M/S INDERSINGH & SON

जसविन्दर पाल सिंह
(भागीदार)

(G-1984)

Add. - O-10 SITE NO 1, CITY CENTER, GIRD, GWALIOR (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कविता सेन (अशिमता सेन की माता) और आशुतोष सेन मेरी पुत्री जिसका वर्तमान नाम अशिमता सेन है, और इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है। अतः मेरी पुत्री का नाम अशिमता सेन से बदलकर भूमि सेन के नाम से लिखा व जाना जावेगा, मेरी पुत्री के भविष्य में बनने वाले सभी आवश्यक/महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम भूमि सेन ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

आवेदक

(G-1985)

(कविता सेन).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री अधिथि श्रीवास का नाम बदलकर यशिका श्रीवास (YASHIKA SHRIWAS) रख लिया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्री को यशिका श्रीवास (YASHIKA SHRIWAS) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(अधिथि श्रीवास)

(यशिका श्रीवास)

जतिन श्रीवास

(G-1986)

पता — 20-21, साटम पार्क कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय अभिलेखों में घनश्याम मंगलसिंह है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे सुधार कर मैंने अपना नाम घनश्याम पिता भगत सिंग सिंगार कर लिया है। अतः समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम घनश्याम पिता भगत सिंग सिंगार लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(घनश्याम मंगलसिंह)

(घनश्याम पिता भगत सिंग सिंगार)

(G-1987)

पता — 66, मूसाखेडी, चिराड मोहल्ला, इन्दौर

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भूल व त्रुटिवश पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) फार्म में मेरी पत्नी का पूर्व का बोलता नाम अनुपम अंकित हो गया है जबकि सही नाम लक्ष्मी वर्मा (Laxmi Verma) है। अतः पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) में मेरी पत्नी का नाम अनुपम वर्मा (ANUPAM VERMA) के स्थान पर लक्ष्मी वर्मा (Laxmi Verma) पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम (अनुपम वर्मा)	नया नाम (लक्ष्मी वर्मा) बाबूलाल वर्मा पता – ई-12, जी.पी.एच. केम्पस, एमपीईबी कॉलोनी, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.).
(G-1988)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम शासकीय अभिलेखों में चन्दसिंह भगतराम है जो कि त्रुटिपूर्ण है जिसे सुधार कर मैंने अपना नाम चन्दन सिंह पिता भगतसिंह सिंगार कर लिया है। अतः समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम चन्दन सिंह पिता भगतसिंह सिंगार लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम (चन्दसिंह भगतराम)	नया नाम (चन्दन सिंह पिता भगतसिंह सिंगार)
(G-1989)	पता – 66, मूसाखेड़ी, चिराड मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मैं, इंदिरा पुत्री श्री रामदेव, निवासी-ग्राम काटकुट पोस्ट काटकुट, तहसील कन्नौज, जिला देवास (म.प्र.) मेरा वास्तविक नाम इंदिरा (INDIRA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश इन्द्रा कछवारे अंकित हो गया था, अब मैं, अपने नये नाम इंदिरा (INDIRA) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यहाँ नाम रहेगा।

पुराना नाम (इन्द्रा कछवारे) (INDRA KACHWARE)	नया नाम (इंदिरा) (INDIRA)
(G-1990)	

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मी गिरधानी पति सुरजीत सिंह छाबड़ा, निवासी-कुंवर बाबा मंदिर के सामने बापू डंडी की गोठ, माधोगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) मेरे शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मी छाबड़ा एवं कुछ शासकीय प्रमाण पत्रों में, आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मी गिरधानी अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम लक्ष्मी गिरधानी एवं लक्ष्मी छाबड़ा एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम लक्ष्मी गिरधानी पति सुरजीत सिंह छाबड़ा (Laxmi Girdhani W/o Surjeet Singh Chhabra) से ही जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम (लक्ष्मी छाबड़ा)	नया नाम (लक्ष्मी गिरधानी)
(G-1991)	पति—सुरजीत सिंह छाबड़ा

आम सूचना

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एक्सक्लूसिव रियल्टी पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाए, इंदौर में पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0063/24 है. यह कि फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 21 फरवरी 2023 को श्री नितेश चुध पिता श्री मोहनलाल चुध, निवासी—85, प्रगति विहार, बिचौली मरदाना, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं एवं दिनांक 14 मई 2024 को श्री हितेंद्र मेहता पिता श्री शांतिलाल मेहता निवासी—28, गुलमोहर कॉलोनी मेन, तिलक नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) साझेदार के रूप में सर्व सहमति से शामिल हुये हैं एवं इसी दिनांक को श्री नितेश चुध पिता श्री मोहनलाल चुध, निवासी—85, प्रगति विहार, बिचौली मरदाना, जिला इंदौर फर्म (मध्य प्रदेश) ने स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं एवं दिनांक 5 जून 2024 को श्री मोहनलाल चुध पिता श्री ताराचंद चुध निवासी—85, प्रगति विहार, बिचौली मरदाना, जिला इंदौर फर्म (मध्य प्रदेश) ने स्वेच्छा से फर्म से इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं.

मेसर्स एक्सक्लूसिव रियल्टी

(Subhash Chandra Katariya)

(Partner)

(G-1992)

भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्रमांक—189—मुकाम—मु.वा.नि.—का.यं.यो.—भोविप्रा—2024

भोपाल दिनांक 9 सितम्बर 2024

शुद्धिपत्र

विकास प्राधिकरण भोपाल की 60 मीटर ग्राम बावडिया कलां नगर विकास योजना क्रमांक—216—बी.एच.ओ.—2023 का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(1) के तहत राजपत्र दिनांक 5 जनवरी 2024 के भाग 3(1) के पृष्ठ 01 में प्रकाशन किया गया है इसमें त्रुटिवश धारा 50(10) प्रकाशित हो गया है. इसे धारा 50(1) पढ़ा जावे.

2. उक्त ग्राम बावडिया कलां नगर विकास योजना क्रमांक—216—बी.एच.ओ.—2023 का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(2) के तहत राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 2024 के भाग 3(1) के पृष्ठ 829 में प्रकाशन किया गया है इसमें त्रुटिवश मास्टर प्लान रोड 60 मीटर के स्थान पर 30 मीटर प्रकाशित हो गया है इसे 60 मीटर पढ़ा जावे.

प्रदीप जैन

(G-1993)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट लटेरी
जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश**

लटेरी, दिनांक 22 अगस्त 2024

फार्म नंबर – 03

[देखिए नियम 4(2)]

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ग्राम मुरारिया, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा के जैन मंदिर ट्रस्ट के पंजीयन हेतु) “ ”

प्र.क्र.01—बी—113—2024—25—1967.— चूंकि, ट्रस्ट “श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट”, ग्राम मुरारिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा मध्यप्रदेश इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाए गए जायदाद के रजिस्ट्रेशन के बाबत् (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। याद रखें ऊपर दिए हुए आवेदन पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को किया जाएगा।

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद या ट्रस्ट के कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं और जिनका उक्त बाबत् कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव देना चाहते हैं, वह जवाब—दावा दो प्रतियों में इस सूचना—पत्र के प्रकाशन दिनांक सह 01 माह में मेरे न्यायालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जाएगी।

अनुसूची “अ” चल संपत्ति :-

बर्तन (भगोना, पीतल एल्यूमोनियम, ट्रे, कड़ाई, बाल्टी, आदि).

तीन बेदियों पर, उत्तरी बेदी पर तीन मूर्ति पाषांढ़ की, एक मूर्ति पीतल एवं श्री यंत्र 4.

मध्य की बेदी, 5 मूर्ति पाषांढ़ और 4 मूर्ति धातु की एवं श्री यंत्र व प्रतिहार्य है।

दक्षिणी बेदी पर, पाषांढ़ प्रतिमा 4 और पंच मेरु, अष्ट प्रतिहार्य व अन्य यंत्र है।

चांदी का विमान 1, धार्मिक पुस्तकें, फर्नीचर।

इनके विस्तृत व्यौरे एवं तादाद आवेदन के साथ संलग्न अनुसूचियों में हैं।

अनुसूची “ब” अचल संपत्ति :-

1. श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भवन जिसका नक्शा संलग्न आवेदन है।

2. धर्मशाला व खुली भूमि नक्शा आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी हुआ।

(G-1994)

अनुभा जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट रतलाम (शहर) मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 23 अगस्त 2024

[फार्म-4 नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट 1951 की धारा 4(2) के तहत]

001-बी-113(1)-2024-25-क्र.1785-आर-1-24.— आवेदक श्री आशापुरा माताजी तीर्थ धाम ट्रस्ट रतलाम मध्यप्रदेश द्वारा न्यासधारी चन्द्रप्रकाश पिता सागरमल भण्डारी निवासी-84, नौलाईपुरा, रतलाम की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4, नियम 2 के अंतर्गत "श्री आशापुरा माताजी तीर्थ धाम ट्रस्ट रतलाम, पता 84, नौलाईपुरा, रतलाम मध्यप्रदेश" के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 12 सितम्बर 2024 को की जावेगी।

2. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 12 सितम्बर 2024 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :—

—पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण—

न्यास का पूरा नाम	"श्री आशापुरा माताजी तीर्थ धाम ट्रस्ट रतलाम"
	पता 84, नौलाईपुरा, रतलाम मध्यप्रदेश
अचल संपत्ति	निरंक
चल संपत्ति	5000/- नगद
(G-1995)	अनिल भाना, रजिस्ट्रार,

कार्यालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त जिला भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 27 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल]

क्र.-2437-रीडर-2024.— आवेदकगण श्री शाहनवाज खान निवासी गिन्नौरी भोपाल एवं श्री अशहर किदवई निवासी खवासपुरा शाहजहांनाबाद, भोपाल द्वारा "भोपाल हिस्ट्री फौरम ट्रस्ट" को ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के

माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

द्रस्ट का नाम व पता	"भोपाल हिस्ट्री फौरम द्रस्ट"
कार्यालय का पता	08 कप्तान साहब की बगिया, गिन्नौरी, भोपाल
अचल सम्पत्ति	कुछ नहीं
चल सम्पत्ति	3,000/- (तीन हजार रुपये)

(G-1996)

लक्ष्मीकांत खरे, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाड़ा (रा.) मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अगस्त 2024

प्रारूप — चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) द्वारा]

क्र.—2802—अ.वि.अ.री—1—2024—रा.प्र.क्र.1—बी—113(1)—2024—25.—चूंकि, वैश्य महासम्मेलन द्रस्ट छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष विजय झांझरी पिता मोतीलाल झांझरी निवासी—जैन मंदिर के पास गायत्री लॉज सड़क पंचशील नगर छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल—अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन—पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन—पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त द्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

क्र.	नाम वस्तु	विवरण
1	चल सम्पत्ति	निरंक
2	अचल सम्पत्ति	निरंक

(G-1997)

प्रारूप – पांच

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) द्वारा]

रा.प्र.क्र.1—बी—113(1)—2024—25.—चूंकि, वैश्य महासम्मेलन ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष विजय झांझरी पिता मोतीलाल झांझरी निवासी—जैन मंदिर के पास गायत्री लॉज सड़क पंचशील नगर छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को विचार के लिए लिया जावेगा।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लोक न्यास अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्याय या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि को समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

वैश्य महासम्मेलन ट्रस्ट छिन्दवाड़ा वैश्य महासम्मेलन ट्रस्ट छिन्दवाड़ा चल—अचल सम्पत्ति निरंक.

(G-1998)

सुधीर कुमार जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग—देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 20 अगस्त 2024

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.—170—रीडर—2024.—आवेदक चन्द्रशेखर शर्मा पिता कैलाशनारायण शर्मा 264, एम.आय.जी. मुखर्जीनगर, देवास मध्यप्रदेश द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन—पत्र धारा 4(2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत, “तीन बाणधारी सेवा ट्रस्ट” 264, एम.आय.जी. मुखर्जीनगर, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषण—पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन—पत्र संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में पंजीयन शुल्क राशि रूपये 100/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः, “तीन बाणधारी सेवा ट्रस्ट” 264, एम.आय.जी. मुखर्जीनगर, देवास मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 20 सितम्बर 2024 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(G-1999)

बिहारी सिंह, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना – गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 27 अगस्त 2024

प्रारूप क्र. 4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा,]

[देखिये नियम –7 (1)]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष

प्र. क्र.-01-बी-113-24-25-4323.— यतः कि न्यासधारी अध्यक्ष सुश्री लक्की सक्सेना पुत्री स्व. श्री जे.के. सक्सेना निवासी पावर हॉउस के पीछे, भोगीराम बस्ती, गुना द्वारा “श्री सनातन एकता मिशन” मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 27 सितम्बर 2024 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अक्सान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता : श्री सनातन एकता मिशन

चल संपत्ति : —

अचल संपत्ति : —

(G-2000) शिवानी पाठक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर,
जिला रीवा मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (30) की धारा 5 की उपधारा 2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5]

प्र. क्र.-1844—लोक न्यास—2024—25.— श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री स्व. हरिराम जी शर्मा, निवासी—म.न. 12/543 पी.ई. स्कूल के सामने, रीवा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें जिसका कि गठन वह करती है।

अतः, मैं पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता :

SHILPI EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST

(शिल्पी एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट)

चल संपत्ति :

11,000/-

अचल संपत्ति :

शिल्पी प्लाजा, बी ब्लाक, द्वितीय तल पर निर्मित,

हाल, 5 B- 2/1, क्षेत्रफल 42.12 वर्गमीटर, रीवा जिला रीवा

वैशाली जैन, अनुविभागीय अधिकारी

(G-2001)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

लखनादौन, दिनांक 27 अगस्त 2024

प्ररूप क्र. — चार

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 30 की 5 की उपधारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये (पंजीयन)]

ग्राम—पिपरिया, प.ह.नं.—71
रा.नि.मं. एवं तहसील—लखनादौन, जिला—सिवनी

लोक न्यास—लखनादौन (सिवनी जिले की संस्था)

क्र. 1230—रीडर—1—2024—रा.प्र.क्र.—0001—बी—113—2024—25.— चूंकि “आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला संरक्षण संस्थान” ग्राम पिपरिया, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, ग्राम पिपरिया, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में संचालित आवेदक श्री राहुल जैन पिता स्व. कपूरचंद जैन निवासी लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 30 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत के लिये आवेदन किया है।

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला सिवनी का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 1 जुलाई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ट्रस्ट की चल संपत्ति : | 1. गायें 30, 2. बैल 40, 3. बछड़ा/बछड़ी 30 |
| 2. ट्रस्ट की अचल संपत्ति : | कृषि भूमि 1. ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 71, ख.नं. 39 रकबा 1.77 है, टीन शेड— $60 \times 60 = 3600$ वर्गफुट
चल—अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम रहेगी, |

नाम व पता — "आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला संरक्षण संस्थान" ग्राम पिपरिया, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी (आज दिनांक को ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा द्वारा जारी)

(G-2002)

हिमांशु जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश
नर्मदापुरम, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र.—परिसमापन—2024—क्यू.—कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश (4)
(1)	(2)	(3)	
1	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., सेहरा	2525/5-12-1995	1045/31-3-2023
2	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., दौड़ी	2532/5-12-1995	1046/31-3-2023
3	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कोटमी	2537/5-12-1996	1047/31-3-2023
4	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खरपाबड	2526/30-3-1996	1048/31-3-2023
5	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालनी	2530/5-12-1995	1049/31-3-2023
6	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., घोघरी	2523/5-12-1995	1050/31-3-2023
7	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खापा	2524/5-12-1995	1051/31-3-2023
8	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मांदीखोह	2538/5-12-1995	1052/31-3-2023
9	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., भरगदा	2507/27-10-1995	1053/31-3-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
10	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मोरपानी	2518/5-12-1995	1054/31-3-2023
11	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., उरदोन	2635/6-6-1997	1055/31-3-2023
12	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चीचा	2506/27-10-1995	1056/31-3-2023
13	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., वारधा	2520/5-12-1995	1057/31-3-2023
14	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., झुनकर	2521/5-12-1995	1058/31-3-2023
15	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., सिलवानी	2622/30-6-1996	1076/31-3-2023
16	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चनागड	2511/27-10-1995	1077/31-3-2023
17	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ मर्या., केसला	2635/30-10-1996	1075/31-3-2023
18	तवा विस्थापित एवं प्रभावित आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., दांडीबाडा	2607/2-1-1994	2400/31-7-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम 57 ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकार गण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जायेंगे। यह सूचना पत्र आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2003)

विनिता चौधरी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 30 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र.—परि.—क्यू.—2024—कार्यालय, उप—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धार 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गजानंद साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	1932/10-3-2014	1446/11-11-2020
2	राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन	1937/10-3-2014	1447/11-11-2020
3	उन्नत निमाड बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खरगोन	1908/10-3-2014	1461/11-11-2020
4	बबीसा ब्राह्मण साख सह. संस्था मर्या., खरगोन	1850/10-3-2014	1463/11-11-2020
5	सृजन साख सह. संस्था मर्या., गोगावां	1886/10-3-2014	31/11-1-2022
6	माँ रेवा उदवहन सिंचाई सह. संस्था मर्या., डोंगरगांव	1046/24-5-1996	1495/28-8-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत मैं, योगेश शरद, उप—अंकेक्षक, खरगोन एवं परिसमापक, संबंधित संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह तक की समयावधि में मय प्रमाण के, यदि हो तो लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकार किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की समयावधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा और संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रेकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख रेकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध वसूली हेतु विधिवत् कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

((G-2004)

योगेश शरद, उप—अंकेक्षक एवं परिसमापक.

इसे वेबसाइट [www.govt_press.nic.in](#) से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024—भाग 22, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)